जवाहर नवोदय विद्यालय–2 , सीतापुर (उ.प्र.) – 261125

पत्रांक 2–1/जनविस2/2017–18/ दिनांक : .

सेवा में,

श्री .... **पंजीकृत**

....,

....

....

विषयः– **जवाहर नवोदय विद्यालय – 2, सीतापुर में कक्षा –6 वीं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के अस्थाई चयन की सूचना ।**

महोदय,

केन्द्रीय माध्यामिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के प्राप्त चयन सूची के अनुपालन में आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि आपके सुपुत्र/सुपुत्री .... अनुक्रमांक -----------------का इस विद्यालय में कक्षा–6वीं में प्रवेश हेतु अस्थाई रूप से चयन कर लिया गया है। प्रवेश संबंधी शर्ते पूर्ण होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। इस संबंध में आप अभ्यर्थी को लेकर दिनांक........................ को प्रातः........ बजे विद्यालय में प्राचार्य कार्यालय में उपस्थित हों।

इस पत्र के साथ कुछ निर्धारित प्रपत्र संलग्न किये जा रहे हैं, अभ्यर्थी ने जिस विद्यालय से कक्षा पॉच उत्तीर्ण की है, उसके प्रधानाध्यापक की सहायता से इन प्रपत्रों को सही, सुस्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरवाकर साथ लायें । प्रपत्रों पर अभिभावक के हस्ताक्षर हों तथा प्रधानाध्यापक के प्रतिहस्ताक्षर हों । निम्नलिखित कागजात साथ लाने हैंः–

(1) पूर्णरूप से भरा हुआ निर्धारित संलग्न विद्यार्थी विवरण प्रपत्र । (17 पेज)

(2) यदि अभ्यर्थी अनु0जाति/अनु0जनजाति का है, तो तहसीलदार द्वारा प्रदत्त अद्यतन **(20 जुलाई 2017 के पूर्व का बना हुआ)** जाति संबंधी प्रमाण पत्र की मौलिक एवं छाया प्रति ।

(3) कक्षा 5वीं के परीक्षा प्रमाण पत्र (अंकतालिका) की मौलिक एवं छाया प्रति ।

(4) कक्षा 5वीं उत्तीर्ण का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो (मौलिक एवं छाया प्रति) प्रवेश की अन्तिम अनुमति मिलने पर जमा करना होगा ।

(5) छात्र /छात्राओं का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जो कि इस विद्यालय के चिकित्साधिकारी डा0 (श्री) जे एन सिंह, जिला, चिकित्सालय सीतापुर फोन नं0 8004942060 द्वारा जारी किया गया मान्य होगा, यदि छात्र/छात्रा अधिक आयु का प्रतीत होता है, अथवा अधोहस्ताक्षरी किसी भी कारण से आवश्यक समझते हैं, जो छात्र/छात्रा को मुख्य चिकित्साधिकारी से फिटनेस हेतु भेजा जा सकता है, जिसका व्यय अभिभावक को वहन करना होगा। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा गठित विशेष समिति का निर्णय मान्य होगा । पेज 10 व 11 अभिभावक द्वारा स्वयं भरे जाने हैं ।

(6) संलग्नक निवास प्रमाण पत्र (पेज संख्या 13) को पूर्ण कराकर अवश्य लायें ।

(7) आपके पाल्य का निवास–प्रमाण पत्र जो कि एस.डी.एम./तहसीलदार/सक्षम अधिकारी स्तर पर जारी किया गया हो , जिसमें स्पष्ट हो कि आपका पाल्य सीतापुर जनपद में किस तारीख से निवास कर रहा है, को अवश्य लायें ।

(8) संलग्नक शपथ पत्र (पेज संख्या 7 व 8) को पूर्ण कराकर अवश्य लायें ।

(9) छात्र/छात्रा के 10 पासपोर्ट साइज फोटो ।

(10) कक्षा 3 , 4 , 5 पास का विद्यालय ग्रामीण / शहरी क्षेत्र में स्थित है का प्रमाण पत्र कक्षावार जो कि संबंधित तहसीलदार अथवा शिक्षाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो ।

(11) (a) – परिवार रजिस्टर नकल (प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मोहर सहित) एवं राशन कार्ड की प्रमाणित फोटो कापी (b)वोटर आई डी माता–पिता/अभिभावक की फोटो कापी (c) अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक के आधार कार्ड का फोटो कापी एवं (d) अभ्यर्थी का स्वयं के आधार कार्ड की फोटो कापी संलग्न करें।

(12) विद्यालय स्तर से कक्षा–06 से 12 तक किसी खेलकूद, स्काउट गाइड एवं साहसिक कार्यक्रम में जाने की अनुमति सर्टिफिकेट एवं रिस्क सर्टिफिकेट (संलग्न को 10 रू के स्टांप पेपर पर) देना आवश्यक है। (पेज सं.15)

(13) कक्षा – 9 से 12 तक 200/– (जो बदल भी सकती है) प्रति माह शुल्क देय होगा । नियमानुसार शुल्क मुक्त भी किये जायेंगें । अभी लागू नियमानुसार सभी छात्राऐं, अनु0 जाति, अनु0 जनजाति, छात्र/छात्राऐं एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के छात्र/छात्राऐं शुल्क मुक्त है ।

(14) अभिभावकों का अद्यतन आय प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो लाना आवश्यक है । प्रपत्रों को हिन्दी या अंग्रेजी एक ही भाषा में भरें । यदि आप निर्धारित तिथि पर अभ्यर्थी के साथ वांछित कागजात लेकर विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।

(सन्त सिंह)
प्राचार्य